न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 368 / 2026

अनवान : –

1. सत्यनारायण पुत्र जगदीश जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. गुडी पुत्री जगदीश जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. विशाल पुत्र श्रवण नाबालिग जरिये संरक्षक माता लक्ष्मी पत्नी श्रवण जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. विकास पुत्र श्रवण नाबालिग जरिये संरक्षक माता लक्ष्मी पत्नी श्रवण जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. लक्ष्मी पत्नी श्रवण जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 26/05/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 7 / 7 की कुल 12.3970 हैक्ट भूमि में से 332 / 9297 हिस्सा भूमि कमला पत्नी जगदीश के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कमला पत्नी जगदीश के नाम दर्ज है जो की वादी की माता है कमला पत्नी जगदीश का देहान्त हो चुका है कमला पत्नी जगदीश का देहान्त हो चुका है एवं कमला के जायज वारिस पत्रावली मे दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 वादी का भाई है एवं प्रतिवादी स0 2 वादी की बहिन है। प्रतिवादी स0 1 ता 4 उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है प्रतिवादी स0 1 ता 4 ने उक्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार है। इन्ही आश्यों की वादी न्यायालय से घोषणा करवापाने का अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण कमला आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कमला पत्नी जगदीश के नाम दर्ज है जो की वादी की माता है कमला पत्नी जगदीश का देहान्त हो चुका है कमला पत्नी जगदीश का देहान्त हो चुका है एवं कमला के जायज वारिस पत्रावली मे दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 वादी का भाई है एवं प्रतिवादी स0 2 वादी की बहिन है। प्रतिवादी स0 1 ता 4 उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है प्रतिवादी स0 1 ता 4 ने उक्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 7/7 की कुल 12.3970 हैक्ट भूमि

Zalul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

में से 332/9297 हिस्सा भूमि कमला पत्नी जगदीश के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कमला पत्नी जगदीश के नाम दर्ज है जो की वादी की माता है कमला पत्नी जगदीश का देहान्त हो चुका है कमला पत्नी जगदीश का देहान्त हो चुका है एवं कमला के जायज वारिस पत्रावली मे दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 वादी का भाई है एवं प्रतिवादी स0 2 वादी की बहिन है। प्रतिवादी स0 1 ता 4 उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है प्रतिवादी स0 1 ता 4 ने उक्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा कमला के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 7/7 की कुल 12.3970 हैक्ट भूमि में से 332/9297 हिस्सा भूमि कमला पत्नी जगदीश के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में कमला पत्नी जगदीश का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक .....26/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 368/2026

अनवान : –

1. सत्यनारायण पुत्र जगदीश जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. गुडी पुत्री जगदीश जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. विशाल पुत्र श्रवण नाबालिग जरिये संरक्षक माता लक्ष्मी पत्नी श्रवण जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. विकास पुत्र श्रवण नाबालिग जरिये संरक्षक माता लक्ष्मी पत्नी श्रवण जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. लक्ष्मी पत्नी श्रवण जाति नायक निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 368 सन 2026 निर्णय दिनांक 26/05/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 7/7 की कुल 12.3970 हैक्ट भूमि में से 332/9297 हिस्सा भूमि कमला पत्नी जगदीश के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में कमला पत्नी जगदीश का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर